

भारत सरकार  
विधि और न्याय मंत्रालय  
विधि कार्य विभाग  
राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 1704  
जिसका उत्तर गुरुवार, 5 मार्च, 2020 को दिया जाना है

**राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के लिए कानून**

**1704. श्री विजय गोयल :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के संबंध में कानून बनाने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों को विनियमित करने वाला कानून लाने की प्रक्रिया में है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री  
(श्री रविशंकर प्रसाद)**

(क) से (ग) : जी, नहीं । इस मंत्रालय में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के संबंध में विधान बनाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । वर्तमान में, इस मंत्रालय में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों को विनियमित करने के लिए विधान लाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

\*\*\*\*\*

